

## विषय सूची

पैरा सं०	शीर्षक	पृष्ठ सं०
	प्राक्कथन	v
	विशिष्टताएं	vii
<b>अध्याय 1: संघीय वित्त का विहंगावलोकन</b>		<b>1-13</b>
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	संघीय वित्त का विहंगावलोकन	1
1.2.1	बजट एवं संशोधित प्राक्कलनों की वास्तविक व्यय से तुलना	1
1.2.2	31 मार्च 2019 को संघ सरकार की परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ	5
1.2.3	संसाधन: निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	6
1.2.4	सी एफ आई के प्राप्तियां एव संवितरण-दो वर्ष की तुलना	7
1.3	संघीय वित्तों के अन्य मुख्य बिन्दु	10
1.3.1	सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों अन्य संयुक्त स्टॉक, कंपनियों, सहकारी बैंकों और संस्थाओं आदि में निवेश	10
1.3.2	सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंको और संस्थाओं आदि में विनिवेश	10
1.3.3	संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां	11
1.3.4	लोक ऋण की स्थिति	12
1.3.5	लोक लेखा देयताएं	12
1.3.6	आरक्षित निधि और जमा राशि	13
<b>अध्याय 2: वित्तीय लेखों पर टिप्पणियां</b>		<b>14-41</b>
2.1	प्रस्तावना	14
2.2	पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण के मामले	14
2.2.1	लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग	14
2.2.2	यू जी एफ ए में फुट नोट के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना का आपतिजनक प्रदर्शन	17
2.2.3	उचंत शीर्षों में निवल आकड़ों का वर्णन	18
2.3	लेखों की यथार्थता से सम्बन्धित मामले	19
2.3.1	केन्द्रीय सड़क निधि से गैर कर प्राप्तियों के तहत ₹10,250 करोड़ का गलत हस्तांतरण	19
2.3.2	लेखा के उचंत व विविध शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष	21

2.3.3	प्रतिकूल शेष	25
2.4	डेटा सम्पूर्णता व यू जी एफ ए विवरणियों की पूर्णता के मामले	26
2.4.1	संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों पर विवरणियों की समीक्षा	26
2.4.2	सरकारी निवेश के सम्बंध में मामले	28
2.4.3	संघ सरकार द्वारा कर्जों और अग्रिमों पर विवरणी से संबंधित मुद्दे	31
2.4.4	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई जी एस टी) के विभाजन से संबंधित मुद्दे	33
2.4.5	आरक्षित निधि से संवितरण और निधि से किए गए व्यय के बीच बेमेल	34
2.5	उपकर एवं उगाही के लेखांकन से संबंधित मुद्दे	34
2.5.1	जी एस टी क्षतिपूर्ति उपकर	35
2.5.2	सड़क एवं अवसंरचना उपकर	36
2.5.3	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	37
2.5.4	कच्चे तेल पर उपकर	39
2.5.5	सार्वभौमिक अभिगम उगाही	39
2.5.6	राष्ट्रीय खनिज न्यास उगाही	40
2.5.7	बंद/ निरस्त उपकर	40
<b>अध्याय 3: विनियोजन लेखे पर टिप्पणियां</b>		<b>42-63</b>
3.1	प्रस्तावना	42
3.2	प्राधिकरण से विविधता	43
3.2.1	अनुदान/विनियोग में अधिक व्यय का विश्लेषण	44
3.2.2	बचत का विश्लेषण	45
3.3	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान व निधि का पुनर्विनियोजन	53
3.4	निधि के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय	53
3.5	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत का गैर अभ्यर्पण तथा अभ्यर्पण	54
3.6	सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (पी एफ एम एस) का कार्यान्वयन	54
3.7	अपर्याप्त प्रावधान के कारण रक्षा (सिविल) अनुदान के अंतर्गत बकाया देयतायें	55
3.8	बिना बजट लाइन के व्यय	55
3.9	प्रावधानों को बढ़ाने के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता	56
3.10	मद शीर्ष- '41-गुप्त सेवा व्यय' के प्रावधान का संवर्धन	58
3.11	व्यय का गलत वर्गीकरण	59
3.11 (क)	मुख्य शीर्षों के साथ मद शीर्षों का गलत उपयोग	59

3.11 (ख)	राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	60
3.11 (ग)	अनुदान की समान विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच खंड के अधीन गलत वर्गीकरण	60
3.12	रेल मंत्रालय के अंतर्गत असंस्वीकृत व्यय	60
3.13	रक्षा पेंशन पर व्यय का अनियमित उत्क्रमण	61
3.14	भारत के संविधान के अनुच्छेद 114(3) का उल्लंघन-सी बी डी टी द्वारा विनियमन के बिना करों की धन वापसी पर ब्याज पर किए गए व्यय	61
<b>अनुलग्नक</b>		<b>65-81</b>
अनुलग्नक 1.1		65
अनुलग्नक 2.1		68
अनुलग्नक 2.2		69
अनुलग्नक 2.3		70
अनुलग्नक 3.1		71
अनुलग्नक 3.2		73
अनुलग्नक 3.3		76
अनुलग्नक 3.4		78
अनुलग्नक 3.5		79
अनुलग्नक 3.6		80
शब्दावली		82